FORM NO. III

AAP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

नाम

मुकदमा नं. 94 सन् 2017

राजस्व लोक अदालत अभियान

आयोजक द्वारा 2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]	

[illegible]

कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट टोंक जिला टोंक

सहायक कलक्टर
टोंक

राजस्व लोक अदालत

न्याय आपके द्वार 2018

गीरदावरी है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र
अस्वीकार निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है
तथा अप्रार्थीगण के मूल वाद के निस्तारण तक
इस आदेश के अन्तर्गत निषेधाज्ञा से
प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम रामपुरा उर्फ
महारामपुरा में स्थित भूमि ख.नं. 521 लगायत 47
523, 533, 534 कुल बिघा 10 कुल रकबा 3.34 है
तथा ख.नं. 524 रकबा 0.04 है. गैर मुन्दाह के संबंध
स्थिति की यथास्थिति बनाये रखे तथा मौके पर कब्जे की
यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय नहीं करें। प्रकरण
के संबंध में अन्तरिम आदेश से कहा है तथा
बाद में मौके पर विधिवत लेख अपील है। निर्णय
राजस्व लोक अदालत के समक्ष दोनों पक्षों
के समक्ष आम में लिखकर जाकर सुनाया
जाता।